



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 167442

14 MAR 20



(आकृष-अ) शपथ-पत्र

हम शपथ पत्र पर बैकाल वगैर आकाश वगैर मजिद कच्चा पल्लेखन ग्राम-श्रीवा, पीस-कैत (कैतपुर) जिला-अरोध्या समथ पुरावा बयान करते हैं :-

1. यह कि हमारे ट्रस्ट का नाम श्रीवा, पीस-कैत (कैतपुर) जिला-अरोध्या नामक जिले का इन फार्मरी संस्थान की स्थापना सन् 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम से ग्राम-श्रीवा, पीस-कैत (कैतपुर) जिला-अरोध्या के गाटा संख्या 279, 280MI में कुल रकम 0.8800 हेठ भूमि है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कौड़े नौ जाद किली भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

हमने उपरोक्त पत्र पर ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के गाटा संख्या 279, 280MI रकम 0.8800 हेठ पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्थरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 03/03/2019 द्वारा पारित किया गया है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित जिला-अरोध्या पल्लेखी संस्थान को संचालन हेतु अगली का नियुक्त अनुवादित नक्शों के अनुसार किया गया है।

ATTESTED  
Sworn & Verified  
Before Me  
R.C. ...  
NOTARY ...

Chairman/Secretary  
Kavya Foundation  
Ayodhya

8. यह कि निरीक्षण समिति को सम्बन्धित भूमि को तब ट्रस्ट के नाम भूमि एवं इस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के सम्बन्ध निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

9. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर सर्वेक्षण पर फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के निर्देशों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही अंमलन किया



10. यह कि उपरोक्त भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सख्तपत्र के सम्बन्ध संस्था एवं प्राथमिकी के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सख्त कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आइआईएलआई आदि का अंमलन न ही पूर्ण में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक अत्यंत कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

12. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की लेखाई करत/सौसाइटी करत सब बातों में पूर्व कर लिया जायेगा।

13. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का पालन करेगा। यदि कोई संस्थान में किसी भी सम्बन्धित भारतीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बन्धित समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मालूम होगा। इस हेतु मैंने इसमें कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

14. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना सभी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अतिरिक्त/परामर्श कर्ता कूटनिष्ठ अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मैंने विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी को नयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।

R.C. VERMA

NOTARY PUBLIC  
CHANDIGARH

अनुमोदित  
हो अथवा

Chairman, Council of Pharmacy Education, New Delhi

HO सचिव

Chairman/Secretary  
Kanya Foundation  
Ajodhya